कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

–:: कार्यालय आदेश ::–

श्री सतीश कुमार सियोता पुत्र श्री राजूराम सियोता व्याख्याता रसायन विज्ञान राउमावि सेसवा चितलवाना, जालौर द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगिता परीक्षा 2015 विषय रसायन विज्ञान में नियुक्ति न्यून वरियता वाले कार्मिको के समान वेतन स्थिरीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 6406/19 सतीश कुमार बनाम सरकार दायर की। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.05.19 में सुमनबाई व अन्य बनाम सरकार 2009(1) WLC(RAJ) 381 से कवर्ड कर निर्णित किया गया।

याचिकार्थी श्री सतीश कुमार सियोता द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्राध्यापक भर्ती 2015 विषय रसायन विज्ञान में नियुक्ति प्राप्त न्यून वरियता वाले कार्मिक के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु मांग की गई है।

याचिकार्थी श्री सतीश कुमार सियोता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। प्राध्यापक भर्ती 2015 विषय रसायन विज्ञान में चयनित अभ्यर्थियों की अभिस्तावना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त होने पर नियमानुसार इनके आवेदन पत्र मय दस्तावेजों की जांच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जारी किये जाते रहें है।प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 25.10.16 को जारी किया गया। जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थो को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में रिशफल परिणाम दिनांक 21.06.17 में चयनोपरान्त इनकी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से दिनांक 30.06.17 को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने पर आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.07.17 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री सतीश कुमार सियोता के द्वारा प्राध्यापक भर्ती 2015 विषय रसायन विज्ञान में प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 25.10.16 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिको के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग सुमनबाई व अन्य बनाम सरकार 2009(1) WLC(RAJ) 381 के परिप्रेक्ष्य में समान होने से न्यायोचित है।

उपर्युक्तानुसार संबंधित अभिलेख एवं नियमों के संदर्भ में याचिकार्थियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में की गई मांग का गहनतापूर्वक परीक्षण, मनन एवं विचारण करने के उपरान्त यह पाया गया कि याचिकार्थी सतीश कुमार सियोता व्याख्याता रसायन विज्ञान राउमावि सेसवा चितलवाना जालौर (मेरिट संख्या 629) को प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2015 में रिशफल रिजल्ट पश्चात आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–4/नियुक्ति रसायन विज्ञान/पीएससी–15/2017 दिनांक 13.07.17 द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। जबकि इन से न्यून वरियता वाले पूर्व में चयनित अभ्यर्थी अनिल कुमार (मेरिट संख्या 642) व्याख्याता रसायन विज्ञान राउमावि दासी डूंगरपुर को अभिस्तावना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त होने पर आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–4/नियुक्ति रसायन विज्ञान/पीएससी–15/ दिनांक 25.10.16 द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। अतः याचिकार्थी सतीश कुमार सियोता व्याख्याता रसायन विज्ञान राउमावि सेसवा चितलवाना जालौर को वास्तविक परिलाभ तथा वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एव अन्य सेवा परिलाभ प्राध्यापक पद पर स्थाईकरण तिथि से काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होगें। उक्त सभी परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने के उपरान्त देय होगें।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री सतीश कुमार सियोता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–4/रजीगृ/अभ्यावेदन/या0सं0 6406/19 दिनांक 07/06/19

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर
02. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर
03. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग
04. गार्ड पंजिका

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

–:: कार्यालय आदेश ::–

श्री सुभय सिंह पलसानिया पुत्र श्री बंशीधर व्याख्याता रसायन विज्ञान राआउमावि लीलसर धनाउ–बाडमेर द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगिता परीक्षा 2015 विषय रसायन विज्ञान में नियुक्ति न्यून वरियता वाले कार्मिको के समान वेतन स्थिरीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने के संबंध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 1454/19 सुभय सिंह पलसानिया बनाम सरकार दायर की। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.02.19 में सुमनबाई व अन्य बनाम सरकार 2009(1) WLC(RAJ) 381 से कवर्ड कर निर्णित किया गया।

याचिकार्थी श्री सुभय सिंह पलसानिया द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्राध्यापक भर्ती 2015 विषय रसायन विज्ञान में नियुक्ति प्राप्त न्यून वरियता वाले कार्मिक के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण, स्थायीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने हेतु मांग की गई है।

याचिकार्थी श्री सुभय सिंह पलसानिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। प्राध्यापक भर्ती 2015 विषय रसायन विज्ञान में चयनित अभ्यर्थियों की अभिस्तावना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त होने पर नियमानुसार इनके आवेदन पत्र मय दस्तावेजों की जांच उपरान्त उसी अनुरूप नियुक्ति आदेश जारी किये जाते रहें है। प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 25.10.16 को जारी किया गया। जबकि याचिका में वर्णित याचिकार्थी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में रिशफल परिणाम दिनांक 21.06.17 में चयनोपरान्त इनकी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से दिनांक **30.07.17** को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने पर आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.07.17 के द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। याचिकार्थी श्री सुभय सिंह पलसानिया के द्वारा प्राध्यापक भर्ती 2015 विषय रसायन विज्ञान में प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 25.10.16 में नियुक्ति प्राप्त कार्मिको के समान रूप से वेतन स्थिरीकरण, वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ दिलवाये जाने की मांग सुमनबाई व अन्य बनाम सरकार 2009(1) WLC(RAJ) 381 के परिप्रेक्ष्य में समान होने से न्यायोचित है।

उपर्युक्तानुसार संबंधित अभिलेख एवं नियमों के संदर्भ में याचिकार्थियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में की गई मांग का गहनतापूर्वक परीक्षण, मनन एवं विचारण करने के उपरान्त यह पाया गया कि याचिकार्थी सुभय सिंह पलसानिया व्याख्याता रसायन विज्ञान राआउमावि लीलसर धनाउ–बाडमेर (मेरिट संख्या 556) को प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2015 में रिशफल रिजल्ट पश्चात आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–4/नियुक्ति रसायन विज्ञान/पीएससी–15/2017 दिनांक 13.07.17 द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। जबकि इन से न्यून वरियता वाले पूर्व में चयनित अभ्यर्थी सुरेश कुमार (मेरिट संख्या 750) व्याख्याता रसायन विज्ञान राउमावि ढूकिया की ढाणी, धोद–सीकर की अभिस्तावना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त होने पर आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–4/नियुक्ति रसायन विज्ञान/पीएससी–15/ दिनांक 25.10.16 द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। अतः याचिकार्थी सुभय सिंह पलसानिया व्याख्याता रसायन विज्ञान राआउमावि लीलसर धनाउ–बाडमेर को वास्तविक परिलाभ तथा वरिष्ठता, वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ प्राध्यापक पद पर स्थाईकरण तिथि से, काल्पनिक लाभ याचिकार्थी से न्यून वरियता वाले अभ्यर्थी के समान देय होगें। उक्त सभी परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने के उपरान्त देय होगें।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकार्थी श्री सुभय सिंह पलसानिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–4/रजीगृ/अभ्यावेदन/या0सं0 1454/19 दिनांक 07/06/19

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर
02. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर
03. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग
04. गार्ड पंजिका

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर